भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *130
दिनांक 26 जुलाई, 2022 / 04 श्रावण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले

***130. श्री सुशील कुमार सिंहः**
श्री सुर्दशन भगतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों की संख्या में वर्ष 2014 के उपरांत कमी आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वर्ष 2015 से हिंसा की घटनाओं में भी कमी आई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा विशेषकर बिहार के औरंगाबाद तथा गया जिलों सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को वर्ष 2014 से प्रदान की गई सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या विगत कुछ वर्षों में इस सहायता के स्तर में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा ता. प्र. सं. *130 दिनांक 26.07.2022

“वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले” के संबंध में दिनांक 26.07.2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *130 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) हाँ महोदय, वामपंथी उग्रवाद हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिले 2014 में 70 से घटकर 2021 में 46 हो गए हैं। वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं भी 2014 में 1091 से घटकर 2021 में 509 हो गई हैं।

(घ) और (ङ) 2014 से, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए विभिन्न एमएचए योजनाओं के तहत लगभग 6578 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2013-14 तक 2181 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से सहायता और गृह मंत्रालय द्वारा जारी निधियों का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

लोक सभा ता. प्र. सं. *130, दिनांक 26.07.2022

अनुलग्नक 1

<u>वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से सहायता का विवरण</u>

भारत सरकार गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली इस सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

1. **सुरक्षा संबंधी व्यय योजना**। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत राज्य सरकारों को 2014-15 से अब तक 2302 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं।

2. **विशेष अवसंरचना योजना**। विशेष अवसंरचना योजना के अंतर्गत विशेष बलों**,** विशेष खुफिया शाखाओं के उन्नयन**,** सुदृढ़ीकरण और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण के लिए 2017-21 से 991.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 400 एफपीएस योजना के तहत**,** 2014 के बाद 334 का निर्माण किया गया है।

3. **सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना**। इस योजना में राज्यों को 3085.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

4. **सड़क आवश्यकता योजना-1**। इस योजना में मई 2014 के बाद 2134 किमी सड़क का कार्य पूरा कर लिया गया है। गया में 205 किमी सड़क और औरंगाबाद में 116 किमी सड़क इस योजना के तहत पूरी हो चुकी है।

5. **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना**। इस योजना में 11**,**780 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12**,**082 किलोमीटर की मंजूरी दी गई है। 6**,**274 किमी का काम पूरा कर लिया गया है। गया में 196 किमी और बिहार के औरंगाबाद जिलों में 237 किमी का काम पूरा हो चुका है।

6. **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना**। इस योजना के तहत 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 61 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) पूरे हो चुके हैं। मई 2014 के बाद**,** 08 आईटीआई और 06 एसडीसी पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत गया और औरंगाबाद के लिए 01-01 आईटीआई और 02 एसडीसी बनाए गए हैं।

7. **केन्द्रीय विद्यालय (केवी) और जवाहर नव विद्यालय (जेएनवी)**। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 32 केवी और 09 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। गया के लिए 02 जेएनवी और 02 केवी और औरंगाबाद जिले के लिए 01 जेएनवी और 02 केवी का निर्माण भी पूरा हो गया है।

8. **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)**। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 207 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं।

9. **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना**। 4080.78 करोड़ रुपये की लागत से 2343 मोबाइल टावर लगाए गए। गया में 59 मोबाइल टावर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 01 मोबाइल टावर के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। औरंगाबाद में 58 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। एक अन्य योजना में "अनकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) समर्थित योजना" 2021 में 37 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए 4312 मोबाइल टावरों को भी मंजूरी दी गई है। यूएसओएफ योजना के तहत, गया के लिए 26 मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है और औरंगाबाद के लिए एक टावर।

10. **वित्तीय समावेशन**। अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1258 बैंक शाखाएं और 1348 एटीएम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 4903 नए डाकघर खोले गए। औरंगाबाद में 26 और गया में 31 डाकघर खोले गए। साथ ही औरंगाबाद में 38 बैंक शाखाएं तथा 8 एटीएम और गया में 66 बैंक शाखाएं तथा 32 एटीएम खोले गए।

लोक सभा ता. प्र. सं. *130, दिनांक 26.07.2022

अनुलग्नक – 2

गृह मंत्रालय की योजनाओं के तहत बिहार के लिए जारी धनराशि का विवरण (करोड़ रुपये में)

योजनाएं*	**14-15**	**15-16**	**16-17**	**17-18**	**18-19**	**19-20**	**20-21**	**21-22**
सुरक्षा संबंधी व्यय योजना	18.99	17.99	13.87	30.63	14.14	17.70	14.23	11.71
विशेष अवसंरचना योजना	4.05	-@	-@	8.00	-	12.38	-	12.35
विशेष केंद्रीय सहायता योजना**	-	-	-	30	133.33	133.32	80	60

*निधि केवल एससीए योजना में जिलेवार जारी की जाती है। अन्य योजनाओं में राज्यवार धनराशि जारी की जाती है।
** योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुरू हुई
@योजना इन वर्षों में कार्यात्मक नहीं थी

एससीए योजना के तहत औरंगाबाद और गया जिलों के लिए जारी निधियों का विवरण(करोड़ रुपये में)

जिला	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
औरंगाबाद	5	33.33	33.33	20	-
गया	5	33.33	33.33	20	20